# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बीदासर चूरू

पीठासीन अधिकारी :– सुमन शर्मा (आर.ए.एस.)

प्रार्थना पत्र संख्या :– 52/2023 दिनांक :– 17-5-2024

1. गोरधनराम पुत्र रतिराम जाति नायक उम्र 64 वर्ष निवासी ग्राम कान्धलसर तहसील बीदासर जिला चूरू राजस्थान

..... प्रार्थी ...

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार साहब बीदासर जिला चूरू राजस्थान

... अप्रार्थी .....

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू.

राजस्व अधिनियम 1955 बाबत् रेकार्ड दुरूस्ती

निर्णय

उपस्थित :–

1. किशनलाल भादू एडवोकेट वास्ते प्रार्थी
2. पैरोकार राज वास्ते अप्रार्थी संख्या 01

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी गोरधनराम पुत्र रतिराम जाति नायक निवासी ग्राम कान्धलसर तहसील बीदासर जिला चूरू राजस्थान के वाके रोही ग्राम कान्धलसर में अपने कब्जा काश्त उपयोग उपभोग का खेत खसरा संख्या 645/221 तादादी 3.6359 हैक्टेयर भूमि है जिसमें प्रार्थी के पिता के इंतकाल के पश्चात वारीसान् नामांतरणकरण के समय प्रार्थी के घर पर बोलने वाला नाम गोवर्धनराम अंकित कर दिया जबकी प्रार्थी का वास्तविक नाम समस्त सरकारी दस्तावेजों आधार कार्ड, राशन कार्ड, जन आधार कार्ड, पहचान पत्र, बैंक पास बुक व पेन कार्ड के अनुसार दर्ज करवाना चांहता है। प्रार्थी के राजस्व रेकार्ड व सरकारी दस्तावेजों में नाम मिलान नहीं होने व भिन्नता होने के कारण राजस्व से संबंधित मिलने वाले सरकारी फायदों में परेशानीयों का सामना करना पड़ता है। इसलिए प्रार्थी के लिए यह आवश्यक हो गया कि वोह राजस्व रेकार्ड में संशोधन करवाकर खसरा नंबर 645/221 तादादी 3.6359 हैक्टेयर में अपना नाम मुताबिक सरकारी दस्तावेज आधार कार्ड, राशन कार्ड, जन आधार कार्ड, पहचान पत्र, बैंक पास बुक व पेन कार्ड के अनुसार गोरधनराम पुत्र रतिराम जाति नायक उम्र 64 वर्ष निवासी ग्राम कान्धलसर तहसील बीदासर जिला चूरू राजस्थान वर्तमान राजस्व रेकार्ड में संशोधन कर प्रार्थी का नाम सही करवाने का प्रार्थी ने यह वाद पेश किया है। इस प्रकार प्रार्थी का नाम मुताबिक सरकारी दस्तावेजों के राजस्व रेकार्ड में संशोधन करते हुए दर्ज करे आदि आदि प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया।

लगातार 2 पर

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर (चूरू)

प्रार्थी द्वारा जरिये वकील प्रार्थना पत्र पेश किया अप्रार्थी को तलब किया गया अप्रार्थी संख्या 01 ने अपना जवाब प्रस्तुत किया। इस प्रकार प्रार्थी कि ओर से उक्त प्रार्थना पत्र का कोई विरोध व खिलाफ का जवाब पेश नहीं हुआ। प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र को स्वीकार करने का निवेदन किया है।

प्रार्थी वकील ने अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में मौखिक बहस में निवेदन किया कि प्रार्थी का खातेदारी खेत खसरा संख्या 645/221 तादादी 3.6359 हैक्टेयर रोही ग्राम कान्धलसर जिसमें प्रार्थी के पिता कि मृत्यू के पश्चात विरासतन इन्तकाल दर्ज करते वक्त घर पर बोल चाल का नाम गोवर्धनराम अंकित किया गया जो कि भूलवश गलत अंकन हो गया व प्रार्थी के समस्त सरकारी दस्तावेजों में नाम में भिन्नता होने के कारण प्रार्थी को सरकारी लाभों से वंचित रहना पड़ रहा है इसलिए प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू. राजस्व अधिनियिम 1955 बाबत् रेकार्ड दुरूस्ती पेश किया। प्रार्थी के नाम वर्तमान राजस्व रेकार्ड में संशोधन कर मुताबिक आधार कार्ड, राशन कार्ड, जन आधार कार्ड, पहचान पत्र, बैंक पास बुक व पेन कार्ड के अनुसार वर्तमान राजस्व रेकार्ड शुद्व करते हुए राजस्व रेकार्ड में प्रार्थी का नाम गोरधनराम पुत्र रतिराम जाति नायक निवासी ग्राम कान्धलसर तहहसील बीदासर जिला चूरू राजस्थान दर्ज किया जावे।

पत्रावली का अवलोकन किया। बहस वकील प्रार्थी की सुनी गई। पत्रावली में प्रार्थी द्वारा अलग से अपने नाम में संशोधन का शपथ पत्र भी पेश किया गया। प्रार्थी रोही कान्धलसर के खसरा नंबर 645/221 तादादी 3.6359 हैक्टेयर बा. अब्बल का खातेदार है। वर्तमान राजस्व रेकार्ड में विरासतन् इंतकाल दर्ज करते वक्त नाम सही दर्ज नहीं कीया। प्रार्थी का नाम सरकारी दस्तावेज आधार कार्ड, राशन कार्ड, जन आधार कार्ड, पहचान पत्र, बैंक पास बुक व पेन कार्ड के अनुसार गोवर्धनराम पुत्र रतिराम जाति नायक निवासी कान्धलसर की जगह सही नाम गोरधनराम पुत्र रतिराम जाति नायक निवासी कान्धलसर तहसील बीदासर जिला चूरू राजस्थान है तथा इसी प्रकार से वर्तमान राजस्व रेकार्ड में संशोधन किया जाना उचित है।

## आदेश

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस प्रकार स्वीकार कर अन्तिम डिक्री जारी की जाती है कि प्रार्थी की खातेदारी खेत रोही ग्राम कान्धलसर के खसरा नंबर 645/221 तादादी 3.6359 हैक्टेयर है जिसमें वर्तमान राजस्व रेकार्ड में नाम गोवर्धनराम पुत्र रतिराम जाति नायक निवासी कान्धलसर को इस प्रकार संशोधित किया जावे कि प्रार्थी का नाम गोरधनराम पुत्र रतिराम जाति नायक निवासी कान्धलसर तहसील बीदासर जिला चूरू राजस्थान राजस्व रेकार्ड में संशोधन किया जावे। आदेश कि पालना हेतु तहसीलदार बीदासर को अलग से लिखा जावे।

आदेश आज दिनांक 17-5-2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर